

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर

टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

रण संख्या -393/2024

वान :

1. पुष्पा पत्नी खीवसिंह जाति राजपूत निवासी पन्नीवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादीया

बनाम

1. भानीसिंह पुत्र बलसिंह जाति राजपूत निवासी पन्नीवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. राजकंवर पत्नी भानीसिंह जाति राजपूत निवासी पन्नीवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. औकारसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासी पन्नीवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. शारदा पत्नी प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासीयान पन्नीवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।
6. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा

88,53 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति:-1 अधिवक्ता श्री महावीर प्रसाद वर्मा :-वादीया

2 अधिवक्ता करनैलसिंह :-प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक...30/12/24

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादीया श्री महावीर प्रसाद वर्मा व करनैलसिंह अधिवक्ता प्रतिवादीगण अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि

क.कि वादीया को प्राप्त आराजी:-चक नं0 16 एफटीपी के प0न0 175/247 मु0 36 किला नं0 21/2/.063, 22/22.122 है0, प0न0 175/248 मु0 45 किलानं0 1.2.3./ .759, 8/.079 है0 उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम, 9/0.079 है0 उत्तर दिशा में पूर्व से

पश्चिम कुल 1.107 है0

अधिकांश पत्र प्रतिवादीगण सं0 3 औकार सिंह व प्रतिवादी सं0 4 शारदा को ब0हि0ब0 प्राप्त आराजी:-चक नं0 16 एफटीपी के प0न 175/248 मु0 45 किलानं0 8/.174 दक्षिण


दिशा पूर्व से पश्चिम, 9/.174 दक्षिण में पूर्व से पश्चिम, 12,13,18/.759 है0 कुल 1.107 है0

ग. प्रतिवादीया सं0 2 राजकंवर को प्राप्त आराजी 30 एनजीसी खाता सं0 110/85 में कुल 3.289 है0 आराजी में .428/3289 भानी सिंह का हिस्सा।

उपरोक्त अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर खांता उपरोक्त अनुसार तकसीम कर रकम राज अलग से कायम किये जाने तथा चक नं0 16 एफटीपी के खातासं0 87/63 व चक नं0 30 एनजीसी के खाता सं0 110/85 में से भानीसिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/12/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



  
(सत्यनारायण र. एड.)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
टिब्बी